

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243510
CG-DL-E-07022023-243510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]
No. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 84(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2023, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित संख्या सा.का.नि. 67(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था में, -

- (i) पृष्ठ 5 में, पंक्ति 2 में, '113' के स्थान पर '114' पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 6 में, पंक्ति 1 में, '112' के स्थान पर '113' पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 6 में, पंक्ति 3 में, '113' के स्थान पर '114' पढ़ें।

[फा सं. 334/03/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th February, 2023

G.S.R. 84(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2023-Customs, dated the 1st February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 67(E), dated the 1st February, 2023, at the page number 14, -

- (i) in line 4, *for* '113' *read* '114';
- (ii) in line 33, *for* '112' *read* '113';
- (iii) in line 35, *for* '113' *read* '114'.

[F. No. 334/3/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.